सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 12.06.2024

आपसी विवाद के चलते स्वयं षडयंत्र रचकर योजनाबद्द तरीके से गोली मारने की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.06.24 को **वादी विशाल दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा** द्वारा थाना बकेवर पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 10.06.24 को समय 21:30 बजे जब वादी अहेरीपुर से पहले रामताल के पास रास्ते पर जा रहा था तभी अहेरीपुर की तरफ से गांव के ही **गोलू राजावत पुत्र वाल्मीक राजावत और उसका भाई कल्लू राजावत** चार पहिया गाडी से आये और वादी के साथ मारपीट करने लगे तथा विरोध करने पर गोलू राजावत ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे गोली वादी के बाये कंधे पर लगी। सूचना के आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 175/24 धारा 307 भादवि** पंजीकृत किया गया। थाना बकेवर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जनपदीय फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्कवाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे थाना बकेवर से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन एवं गहनता से पूछताछ के आधार पर प्रकाश मे आया कि वादी विशाल दुबे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत **गोलू राजावत और कल्लू राजावत** को फसांने के उद्देश्य से स्वयं सुनियोजित तरीके से गोली मारने की घटना कारित की गयी है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 12.06.2024 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि फायरिंग की घटना मे वांछित अभियुक्त अहेरीपुर कस्बे मे कही जाने की फिराक मे सलेमपुर मोड पर खडे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त विशाल दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे, भूपेन्द्र उर्फ सोनू तोमर पुत्र लल्ला सिंह व गौरविन्द उर्फ पारुल राजावत पुत्र महेन्द्र सिंह को अवैध तमंचा व खोखा कारतूस सहित सलेमपुर मोड से समय 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्त गौरविन्द उर्फ पारूल राजावत के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त गौरविन्द ने बताया कि मेरे साथी विशाल दुबे व भूपेन्द्र का गोलू राजावत व कल्लू से विवाद चल रहा था। जिन्हे फसांने के लिये हम तीनो ने मिलकर योजना बनायी तथा दिनांक 10.06.24 को समय 21.30 बजे हम तीनों महेवा अछल्दा मार्ग पर अहेरीपुर से पहले महेवा की तरफ सडक किनारे पहुंचे एवं सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत विशाल दुबे के कहने पर मेरे (गौरविन्द उर्फ पारुल राजावत) द्वारा इसी तमंचे से उसके बायें हाथ की बगल मे गोली मार दी गयी।

उक्त गिरफ्तारी /बरामदगी के संबंध मे थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/24 में धारा 307 भादवि का लोप कर धारा 195/120 B भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **विशाल दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 27 वर्ष।**
2. **भूपेन्द्र उर्फ सोनू तोमर पुत्र लल्ला सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।**
3. **गौरविन्द उर्फ पारुल राजावत पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी इन्द्रावखी थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।**

बरामदगीः-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर।**
2. **01 खोखा कारतूस 315 बोर।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 175/24 धारा 195/120 B भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा**

पुलिस टीम- नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना बकेवर, व0उ0नि0 हेमंत कुमार सोलंकी, उ0नि0 दयानंद पटेल, का0 सतवीर, का0 संजय कुमार, का0 अनुज कुमार।